संख्या-317/2017/200/22-2-2017-17(50)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरे पुत्र श्री पुलन्दर निवासी जनपद-मुरादाबाद हाल जिला-सम्भल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4064/प्रोबेशन-3/(एम-13-02-2017) दिनांक-13-02-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरे पुत्र श्री पुलन्दर, निवासी-विचैटा, थाना-कुढ़फतेहगढ़, जनपद-मुरादाबाद हाल जिला-सम्भल का रहने वाला है। शादी में निहाली की पुत्री व मृतक शिवसिंह की बहू के मध्य झगड़ा विवाद हुआ जिसमे अभियुक्त ने शिवसिंह के घर पर पत्थर फेकें। शिवसिंह ने अभियुक्तों को ललकारा और देख लेने की धमकी दी। बन्दी ने इसी रंजिश में दिनांक 04.06.1990 को लगभग 08:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, छुरी, फरसा, बल्लम से गंगाराम के बरामदे में लेटे शिवसिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-541/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 21-10-1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 01 अन्य सहअभियुक्त की जमानत पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-01-2017 तक 17 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने शिवसिंह की बहू के मध्य हुए झगडे विवाद में दिनांक 04.06.1990 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, छुरी, फरसा, बल्लम से गंगाराम के बरामदे में लेटे शिवसिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरे पुत्र श्री पुलन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च नयायालय में योजित रिट याचिका सं0-25973/2016 भूर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी भूरे (बन्दी संख्या-5583) पुत्र श्री पुलन्दर निवासी जनपद-मुरादाबाद हाल जिला-सम्भल के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-317/2017/200(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-317/2017/200/22-2-2017-17(50)/2017

दिनांक 24 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरे पुत्र श्री पुलन्दर, निवासी-विचैटा, थाना-कुढ़फतेहगढ़, जनपद-मुरादाबाद हाल जिला-सम्भल का रहने वाला है। शादी में निहाली की पुत्री व मृतक शिवसिंह की बहू के मध्य झगड़ा विवाद हुआ जिसमे अभियुक्त ने शिवसिंह के घर पर पत्थर फेकें। शिवसिंह ने अभियुक्तों को ललकारा और देख लेने की धमकी दी। बन्दी ने इसी रंजिश में दिनांक 04.06.1990 को लगभग 08:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, छुरी, फरसा, बल्लम से गंगाराम के बरामदे में लेटे शिवसिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-541/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 21-10-1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 01 अन्य सहअभियुक्त की जमानत पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त तथा तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-01-2017 तक 17 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने शिवसिंह की बहू के मध्य हुए झगडे विवाद में दिनांक 04.06.1990 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, छुरी, फरसा, बल्लम से गंगाराम के बरामदे में लेटे शिवसिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भूरे पुत्र श्री पुलन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in